


राजभाषा विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में सूचना

| उप संकश न | मांगी गई जानकारी | अभ्युक्ति |
|------------|---|--|
| 4(b) (i) | संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण | <p>राजभाषा विभाग, विजयवाड़ा मंडल पर राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसका नेतृत्व अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी और एडीआरएम/ओपी करते हैं।</p> <p>कार्य और कर्तव्य:</p> <p>(i) राजभाषा कार्यान्वयन के तहत विभिन्न राजभाषा गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जैसे राजभाषा बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी तकनीकी सेमिनार, हिंदी साहित्यकारों की वर्षगांठ आदि।</p> <p>(ii) मुख्यालय और रेलवे बोर्ड से प्राप्त राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।</p> <p>संगठन चार्ट देखने के लिए यहां (अनुलग्नक-1) क्लिक करें.</p> |
| 4(b) (ii) | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य | <p><u>अधिकारी: राजभाषा अधिकारी राजभाषा विभाग को सौंपी गई गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाएँ आदि का आयोजन।</u></p> <p><u>कर्मचारी: सभी राजभाषा कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन, एसडब्ल्यूआर का अनुवाद तथा जीडब्ल्यूआर, धारा 3 (3) दस्तावेजों आदि के अनुवाद कार्य करना होता है।</u></p> |
| 4(b) (iii) | पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया | <p>राजभाषा नीतियों के अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यालय और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है।</p> |
| 4(b) (iv) | कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड | |
| 4(b) (v) | इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड। | <p>राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों का राजभाषा विभाग द्वारा पालन किया जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि रेलवे बोर्ड, मुख्यालय से समय-समय पर जारी राजभाषा नीति परिपत्रों / पत्रों / निर्देशों का कार्यान्वयन।</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| 4(b) (vi) | इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण। | रेलवे बोर्ड नीति परिपत्र, बोर्ड और गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण पत्र आदि। |
| 4(b)(vii) | किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में। | लागू नहीं |
| (b)(viii) | बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं। , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं। | लागू नहीं |
| 4(b)(ix) | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका। | (अनुलग्नक-II) देखें |
| 4(b) (x) | इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक। | यह वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है |
| 4(b) (xi) | अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैर, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है। | लागू नहीं |
| 4(b) (xii) | आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका। | लागू नहीं |
| 4(b)(xiii) | इसके द्वारा दी गई रियायतों, | लागू नहीं |

| | | |
|----------------|---|---|
| | परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण। | |
| 4(b)(xiv) | उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है। | सार्वजनिक समय सारणी |
| 4(b)(xv) | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है। | -- |
| 4(b)(xvi) | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। | <p><u>जन सूचना अधिकारी</u> जी.आर. सुधीर कुमार वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी संपर्क करें: 68300 कार्यालय नं. 0866-2573904</p> |
| 4(b)(xvii) | इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है। | कुछ नहीं |
| 4(1)(b)(xviii) | राजस्व विभाग में इनकंबेंसी की स्थिति | लागू नहीं |



| क्र.सं. | नाम | पदनाम | रेलवे फोन | सीयूजी | ई-मेल |
|---------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| 04 | श्री आशा महेश कुमार | राजभाषा अधिकारी | 68314 | 9701373083 | rbabza@gmail.com |

